न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या 136/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 1.11.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

बलभद्र सिंह आ0 स्व0 केसरी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम काप्रेन हाल निवासी बूंदी।

...अपीलाट

बनाम

1 कन्हैयालाल आ0 गोपाल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बूंदी।
2 राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार काप्रेन जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री महेश शर्मा अभिभाषक अपीलाट
श्री कैलाशचंद शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ★ कोटा ★

निर्णय

दिनांक 31.7.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल सं005/अपील/2015 बउनवान कन्हैयालाल बनाम बलभद्र सिंह मे पारित निर्णय दिनांक 4.8.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रेस्पो0 कम–1 कन्हैयालाल द्वारा नायब तहसीलदार काप्रेन द्वारा आराजी ख0 नं0 1699 रकबा 0.92 गे0 मु0 किला एवं ख0 नं0 1569 रकबा 0.11 गे0 मु0 मठ का बलभद्र सिंह के नाम नामान्तरकरण सं0 979 दिनांक 10.9.2014 ग्राम रोठेदा अवैध एवं गैरकानूनी रूप से तस्दीक किये जाने से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय मे राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत पेश कर नामान्तरकरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील निर्णय दिनांक 4.8.2017 से स्वीकार कर अपीलाधीन नामा0 निरस्त कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कैशोरायपाटन के निर्णय दिनांक 24.7.2014 एवं उसकी पालना मे जारी

डिक्री मे अंकित निर्देशानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु परीक्षण न्यायालय को आदेशित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट बलभद्र सिंह द्वारा द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 एलआरएक्ट मे न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का जेरअपील निर्णय वस्तुतस्थिति एवं कानून के मूल सिद्धान्तो के विपरीत है। रेस्पो0 क्रम–1 को अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश करने का कोई अधिकार नही था ऐसी स्थिति दिनांक 4.8.2017 को पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। नामा0 राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना खोला गया था और उक्त डिक्री के विरूद्ध केवल अपीलीय न्यायालय द्वारा ही आदेश प्रदान किया जा सकता है प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर नही कर कानूनी भूल की है। रेस्पो0 क्रम–1 निर्णय एवं डिक्री मे पक्षकार नही था यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी मे था ऐसी स्थिति मे उसकी कोई लोकस स्टेण्डाई ही नही थी कि वह अपील पेश कर सके उक्त विधि के सुसंगत तथ्य की भी गलत विवेचना की गई है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (सीलिग) बूंदी का निर्णय दिनांक 4.8.2017 अपास्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तरकरण सं0 979 दिनांक 10.9.2014 दावे मे पारित निर्णय/डिक्री 24.7.2014 की पालना मे तस्दीक किया गया। रेस्पो0 क्रम–1 उक्त वाद प्रकरण मे पक्षकार नही था ऐसी स्थिति मे उसको नामा0 सं0 979 के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही था। निर्णय/डिक्री की अपील नही की गई। उक्त डिक्री के विरूद्ध केवल अपीलीय न्यायालय द्वारा ही आदेश प्रदान किया जा सकता है। नामा0 राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना खोला गया था। धारा 96 सीपीसी लागू नही होती है। आम जनता की ओर से भी अपील पेश नही की गई। उक्त तथ्य प्रथम अपीलीय न्यायालय की जानकारी मे होते हुये भी गलत विवेचना कर जेरअपील निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2012 (1) पेज 374 आरआरटी 2012 (2) पेज 741 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर जेरअपील निर्णय दिनांक 4.8.2017 अपास्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने अपनी बहस मे प्रकट किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। गै.मु.मठ सार्वजनिक होता है ऐसी स्थिति मे कोई भी प्रभावित पक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है अतः विधि विरूद्ध तस्दीक किये गये नामा0 के विरूद्ध अपील पेश करने का अपीलार्थी को अधिकार था। ख0 नं0 1699 गढ एवं ख0 नं0 1569 मठ दौनो खसरा सिवायचक दर्ज है। डिक्री अनुसार ख0 सं0 1699 गढ (गे.मु.गढ) मात्र का इन्तकाल दर्ज होना चाहिये परीक्षण न्यायालय ने राजस्व वाद मे पारित डिक्री/निर्णय अनुसार नामान्तरकरण दर्ज नही कर त्रुटि की जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत प्रकरण मे दिनांक 4.8.2017 को निर्णय पारित कर नामा0 सं0 979 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन के निर्णय दिनांक 24.7.22014 एवं उसकी पालना मे जारी डिक्री मे अंकित निर्देशानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीलक करने का आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है अपने तर्क के समर्थन मे आरआरडी 1958 पेज 89 आरआरडी 1992 पेज 117, 143 आरआरडी 1992 पेज 388 एआईआर 1966 सुप्रीम पेज 1603 आरआरडी 2006 पेज 802 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा प्रकरण विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। पत्रवली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/दस्तावेजात तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक

24.7.2014 अनुसार हाल ख0 सं0 1699 रकबा 0.92 है0 ग्राम रोठेदा पर बलभद्र सिंह को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने तथा ख0 सं0 1569 रकबा 0.11 है0 गे0 मु0 गढ को गैर0 मु0 मठ दर्ज करने के आदेश है। उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना मे नायब तहसीलदार काप्रेन द्वारा ख0 सं0 1699 रकबा 0.92 है0 गै0मु0किला एवं ख0 सं0 1569 रकबा 0.11 है0 गै0मु0मठ बलभद्र सिंह के खाते दर्ज किया गया। जबकि डिक्री की मंशा के अनुरूप केवल खसरा सं0 1699 रकबा 0.92 है0 गै0मु0किला को बलभद्र सिंह के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीधीन आदेश को विधि संगत नही मानते हुये नामा0 सं0 979 को निरस्त करते हुये नामान्तरकरण मे हुई त्रुटि को दुरूस्त करने का जेरअपील आदेश/निर्णय दिनांक 4.8.2017 पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि रेस्पो0 क्रम–1 उक्त वाद प्रकरण मे पक्षकार नही था ऐसी स्थिति मे उसको नामा0 सं0 979 के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही था। डिक्री के विरूद्ध केवल अपीलीय न्यायालय द्वारा ही आदेश प्रदान किया जा सकता है। नामा0 राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना मे खोला गया था। इस संबध मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 4.8.2017 मे स्पष्ट किया है कि कोई भी प्रभावित पक्ष अपील लेकर आ सकता है। गै0मु0 मठ सार्वजनिक है ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 क्रम–1 को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। जहां तक डिक्री के विरूद्ध अपील किये जाने का प्रश्न है रेस्पो0 क्रम–1 डिक्री से व्यथित नही है अपितु उसकी पालना मे खोले गये नामान्तरकरण मे हुई त्रुटि को दुरूस्त करने का आदेश दिये जाने मे अधीनस्थ न्यायालय सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त वर्णित अभिमत विधिसंगत होने से प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण चस्पा नही होते है। क्योंकि परीक्षण न्यायालय द्वारा नामा0 सं0 979 डिक्री के अनुसार तस्दीक नही किया गया ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण मे हुयी त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 4.8.2017 पारित किया है जो न्यायोचित होने से निर्णय मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 31.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका सरस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा